प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष/25/12–13/9631-75 दिनांक: 09/01/13

विषय : मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत जनपदों में आयुष जन सम्मेलन तथा दीवाल–लेखन हेतु अवमुक्त धनराशि तथा तद्सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 द्वारा प्रस्तावित एवं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अनुभाग के पत्र संख्या 10(30)/2012–एन0आर0एच0एम0–1 दिनांक 16.07.2012 के द्वारा मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष हेतु मिशन फ्लेक्सीपूल के अन्तर्गत जनपद स्तरीय आयुष जन सम्मेलन एवं दीवाल लेखन हेतु कुल रू0 112.50 लाख (आयुष जन सम्मेलन हेतु रू0 1.00 लाख एवं दीवाल लेखन हेतु रू0 0.50 लाख प्रति जनपद) की धनराशि अनुमोदित किया गया है।

2. प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर एक दिवसीय आयुष जन सम्मेलन निम्न उद्देश्यों के साथ आयोजित किया जायेगा :–

(1) आयुष के सम्बन्ध में जानकारी देना एवं जन जागरुकता पैदा करना।
(2) आयुष सम्बन्धी साहित्य एवं औषधियों आदि के बारे में जन सामान्य को अवगत कराना।
(3) जन सामान्य में आयुष से सम्बन्धित भ्रान्तियों को दूर करना।
(4) जन सामान्य एवं जनपद में कार्यरत् आयुष चिकित्सकों को ख्याति प्राप्त आयुष विशेषज्ञों के तकनीकी उद्बोधन से लाभान्वित करना।

3. जनपदों में आयुष जन सम्मेलन हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति गठित की जायेगी–

(1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी–सदस्य सचिव
(2) जिला होम्योपैथिक अधिकारी–सदस्य
(3) क्षेत्रीय आयर्वेद/यूनानी चिकित्साधिकारी–सदस्य
(4) जनपद में कार्यरत् ख्याति प्राप्त प्राइवेट प्रेक्टीशनर–एक होम्योपैथिक एवं एक आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सक–सदस्य
(5) जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0–सदस्य

4. जनपदों में आयुष जन सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर–नवम्बर में जनपद की सुविधा के अनुसार किया जायेगा। जनपदों में आयुष जन सम्मेलन आयोजन की अवधि एक दिवस की होगी। जनपद इसे सुविधानुसार रविवार को भी आयोजित कर सकतें है। आयोजन का समय प्रातः 10:00 बजे से रात 8:00 बजे तक होगा। इसमें प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक तकनीकी कार्यक्रम

के अर्न्तगत आयर्वेद, होम्योपैथिक, योगा एवं यूनानी के विशेषज्ञों का व्याख्यान, परिचर्चा एवं प्रर्दशन आयोजित किया जायेगा। आयर्वेद, होम्योपैथिक, योगा एवं यूनानी औषधियों के सम्बन्ध में उत्पादकों, औषधीय जड़ी–बूटियों एवं पेंड–पौधे तथा उपकरणें आदि की प्रचार–प्रसार प्रदर्शनी आयोजित की जायेगी तथा सायं 6:00 से 8:00 बजे तक लोक विधाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

5. सम्मेलन स्थल ऐसे स्थान पर चयनित करें जहाँ हॉल की उपलब्धता के साथ कैम्पस भी हो, जिससे पंडाल एवं प्रदर्शनी लगाने में सुविधा हो। इसके साथ सम्मेलन स्थल पर जन सुविधायें यथा–पीने का पानी एवं शौचालय आदि की व्यवस्था हो।

6. आयुष जन सम्मेलन का उद्घाटन यथा सम्भव जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री महोदय/जिला परिषद अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाएगा। सम्मेलन का समापन किसी गणमान्य व्यक्ति द्वारा कराया जाये।

7. जन सम्मेलन हेतु जनपद के निम्न जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को अवश्य आमंत्रित किया जाये–

- मा0 सांसद, विधायक।
- मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लाक प्रमुख।
- ग्राम प्रधान, बी0डी0सी0, डी0डी0सी0।
- जिला स्तरीय अधिकारी विशेष रुप से जिला पंचायत अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास), जिला परियोजना प्रबन्धक (एन0आर0एच0एम0) एवं जिला कम्यूनिटी मोबलाइजर (एन0आर0एच0एम0)।
- एलौपैथिक, होम्योपैथिक, आयर्वेदिक, यूनानी राजकीय एवं संविदा चिकित्सक तथा प्राइवेट प्रेक्टीशनर चिकित्सक।
- जनपद में औषधि सम्बन्धी पौधों की कृषि करने वाले किसान।
- आयुष औषधि निर्माता।

8. आयुष जन सम्मेलन में जनपद में कार्यरत् संविदा आयुष चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा कैम्प का आयोजन किया जायेगा। कैम्प में मरीजों का पंजीकरण एवं रोगों का निदान तथा औषधि वितरण भी किया जायेगा। पंजीकरण एवं औषधि वितरण आदि का विशेष प्रबन्ध किया जाये ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इसकी विस्तृत सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. आयुष जन सम्मेलन में आयुष सम्बन्धी साहित्य, औषधियों एवं औषधीय जड़ी–बूटियों, औषधीय पेंड़–पौधों तथा उपकरणों आदि के स्टॉल लगाये जायेंगे। इसके लिये प्रकाशकों, औषधि निर्माताओं, उत्पादकों आदि से आयोजन समिति द्वारा वार्ता कर उन्हें आयोजन स्थल में निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराये जायेंगे। अन्य विभागों विशेषकर बाल विकास परियोजना, शाक–सब्जी व फल संरक्षण के भी स्टालों की व्यवस्था की जायेगी।

10. सांस्कृतिक कार्यक्रम के अर्न्तगत केवल आयुष एवं स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार–प्रसार वाले लोक गीत, बिरहा, रागिनी, आल्हा, सोहर, नाटिका, जादूगर का प्रदर्शन, कठपुतली नृत्य प्रदर्शन ही अनुमन्य होगें। फिल्मी गीतों को ना गाया जाये और न ही उन पर नृत्य किया जाये। शालीनता का विशेष पालन किया जाये।

11. सम्मेलन आयोजित करने हेतु जिला स्तरीय आयुष जन सम्मेलन आयोजन समिति की बैठक 15 सितम्बर से 30 सितम्बर 2012 तक अवश्य कर ली जायेगी, जिसमें सम्मेलन की विस्तृत रुपरेखा पर विचार विमर्श किया जाये। सम्मेलन की तिथि सुनिश्चित की जायेगी। इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। इसी अवधि में व्याख्यान एवं परिचर्चा हेतु योगा, आयर्वेद, होम्योपैथिक, एवं यूनानी विशेषज्ञों से सम्पर्क कर उनकी सहमति प्राप्त कर ली जाये।

12. मण्डलीय अपर निदेशक अपने स्तर से स्वयं एवं अन्य अधिकारियों तथा मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धकों को सम्मेलन में प्रतिभाग करने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यक्रम का अनुश्रवण करवाकर सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

13. कार्यक्रम की रिर्पोट सम्मेलन समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय प्रेषित की जायेगी। समाचार पत्रों की कतरन भी रिपोर्ट के साथ संलग्न की जायेगी। आयुष जन सम्मेलन के आयोजन की फोटोग्राफी तथा वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जायेगी, जिसे सी0डी0 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा ताकि इसे एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड कराया जा सके।

इस सम्मेलन हेतु रू0 1.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। व्यय निम्न मदों में किया जाना प्रस्तावित है–

क्रम संख्या	मद	व्यय हेतु धनराशि का विवरण रू0 में
1	पंडाल, माइक आदि	60000.00
2	प्रचार–प्रसार	15000.00
3	स्वल्पाहार	10000.00
4	अन्य मद	15000.00
योग		**100000.00**

उक्त धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदित कराने के पश्चात ही व्यय किया जायेगा। व्यय विवरण सम्मेलन की रिपोर्ट के साथ ही एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित कर दिया जाये।

14. मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत आयुष से सम्बन्धित जन–जागरूकता एवं जनपद में आयुष से सम्बन्धित उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पठनीय दीवाल–लेखन हेतु प्रत्येक जनपद को रू0 0.50 लाख अतिरिक्त प्रेषित किया जा रहा है। दीवाल–लेखन जिलाधिकारी कार्यालय, जनपद के समस्त चिकित्सालयों (जिला चिकित्सालय, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 एंव उपकेन्द्र) तथा पंचायत भवन आदि पर किया जाये।

15. कार्यक्रम से सम्बन्धित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर समयान्तर्गत महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0 प्र0 तथा इस कार्यालय को नियमित रूप से प्रेषित की जाये।

भवदीय,

05/1/13

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष/25/12–13/2631-75-12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उ0प्र0।
6. निदेशक, यूनानी सेवाएं, उ0प्र0।
7. निदेशक, होम्योपैथ सेवाएं, उ0प्र0।
8. वित्त नियंत्रक, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
11. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

05/1/13

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक